रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022
   प्र. इ. रि. स. .... 175/22 दिनांक .... 1/5/2022 ....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें.........**7**.............
   (ब) अधिनियम ....धारायें.............................
   (स) अधिनियम ....धारायें.............................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......232...... समय........5.05 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन दि. गुरुवार / 31.03.2022..........................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 31.03.2022 समय.04.30 पी.एम. ....
4. सूचना की किस्म : लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल : पुलिस चौकी झील थाना बयाना जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी दक्षिण , दूरी करीब 35 किमी.............................
   (ब) पता – ....बीट संख्या .....जरायमदेहीसं.......................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.............जिला.....................

6.परिवादी / सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम **श्री रूपेन्द्र सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री जगराम जाति जाटव ......(स) जन्म तिथि / वर्ष 39 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.......भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथी.........जारी होने की जगह..............................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम नगला पुरोहित पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   श्री हीरा सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव उम्र 57 साल निवासी ग्राम कुसैडा पुलिस थाना मनियां जिला धौलपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस चौकी झील थाना बयाना जिला भरतपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....5,000 / रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)......
   ....5,000 / रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाने बाबत महोदय निवेदन है की प्रार्थी रूपेन्द्र कुमार एवं प्रार्थी के परिवारी जनों के खिलाफ थाना बयाना पर मुकदमा नं–90 / 22 दर्ज जिसकी तफ्तीश हीरासिंह एस आई चौकी झील थाना बयाना कर रहे है प्रार्थी के द्वारा भी मुकदमा नं. 92 / 22 क्रोस केस दर्ज थाना बयाना पर करवाया है तफ्तीश करने वाले थानेदार मुझ से मेरे मुकदमें में कार्यवाही करने के लिए पॉच हजार रूपये पूर्व में ले चुका है तथा अब मेरे मुकदमें में ही कार्यवाही कराने और मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में से मेरे परिवार वालो के नाम निकालने के लिए पॉच हजार रूपये रिश्वत की मॉग कर रहा है। मै। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता और उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। श्रीमान जी कानूनी कर्यवाही की जावे। एस डी प्रार्थी रूपेन्द्र कुमार पुत्र जगराम जाटव निवासी नगला पुरोहित तह. बयाना जिला भरतपुर मो0. 7568173661 एस.डी. नवल किशोर पुलिस निरीक्षक दिनांक –31 / 3 / 2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31.3.2022 समय 04.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक के जरिये फोन निर्देशानुसार श्री गजेन्द्र कुमार कानि0 455 कार्यालय पुलिस अधीक्षक एसीबी रेंज भरतपुर मय परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगराम उम्र 39 साल जाति जाटव निवासी नगला पुरोहित पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर मय वाईस रिकार्डर मय सरकारी मोटरसाईकिल के एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना शुदा उपस्थित ग्राम अस्तल ईलाका चौकी बछामदी आये जहां पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को सम्बोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक नवल किशोर मीणा को पेश की। उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है तथा उक्त रिपोर्ट पर मेरे स्वंय के हस्ताक्षर हैं और बताया कि मेरे व मेरे परिवार जनों के खिलाफ पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर पर मुकदमा नं0 90/22 दर्ज है जिसकी तफतीश श्री हीरासिह एस आई चौकी झील थाना बयाना कर रहे है। प्रार्थी द्वारा भी बयाना थाने में मुकदमा नं0 92/22 दर्ज करा रखा है। थानेदार जी मेरे मुकदमें में कार्यवाही करने व मेरे व मेरे परिवार जनों के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में नाम निकालने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत माग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय–05.00 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसे मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री गजेन्द्र कुमार कानि0 455 एसीबी चौकी भरतपुर से अपने साथ लेकर आया था जिसमे से सम्पूर्ण डाटा को परिवादी व गवाहान के समक्ष डिलीट किया गया तथा परिवादी रूपेन्द्र कुमार को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गजेन्द्र कुमार कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करे, परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित एसीबी चौकी भरतपुर लेकर आवे। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी रूपेन्द्र कुमार एवं गजेन्द्र कुमार कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी झील पुलिस थाना बयाना रवाना किया गया फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.00 पीएम पर श्री गजेन्द्र कुमार कानि0 455 मय परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वापस आया जिससे सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा परिवादी ने बताया कि आरोपी हीरा सिंह थानेदार से मेरी वार्ता हो गई है। आरोपी हीरासिंह थानेदार मुझे पुलिस चौकी झील पर ही मिला था थानेदार जी ने मेरे से मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में कार्यवाही करने व मेरे व मेरे परिवार जनो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में नाम निकालने की एवज में 5000 रू0 रिश्वत की मांग की मैने आरोपी हीरासिंह थानेदार से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। श्री गजेन्द्र कुमार कानि0 से पविादी के कथनों के संबध में पूछा तो गजेन्द्र कुमार कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद की प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर डीवीडी तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय–08.10 पीएम पर परिवादी रूपेन्द्र कुमार व आरोपी हीरा सिंह थानेदार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और दो डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी को सफेद कपडे की थैली में अलग अलग रखवाकर

सील मोहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम डीवीडीयों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्री अख्तार खान हैड कानि. 05 को दुरुस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.00 पीएम पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार को बाद कार्यवाही हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा मॉगी जा रही रिश्वत राशि का इंतजाम करें एवं जब भी आरोपी का कॉल आये तो मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें बाद हिदायत रूख्सत किया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दिनांक 23.04.2022 को समय 03.00 पीएम पर उप कार्यालय होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे ऊपर हीरासिंह थानेदार को शक हो गया है अब मेरे से बातचीत नहीं कर रहा है और न ही मेरा फोन उठा रहा है । अब वह मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगा । परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया ।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी हीरासिंह उप निरीक्षक पुलिस चौकी झील थाना बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से परिवादी व उसके परिवारजनों के विरूद्ध पुलिस थाना बयाना में दर्ज प्रकरण संख्या 90/22 में परिजनों के नाम निकालने व परिवादी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा नं0 92/22 में कार्यवाही करने की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.03.2022 को 5,000/ रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री हीरा सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव उम्र 57 साल निवासी ग्राम कुरौधा पुलिस थाना मनियां जिला धौलपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस चौकी झील थाना बयाना जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(नवल किशोर मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो भरतपुर,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री हीरा सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी झील पुलिस थाना बयाना, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 175/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1559-63 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।